संख्या-14/2019/376/बावन-1-2019-10(पी.एम.जे.वी.के.)/2019

प्रेषक,

हरी राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 08 मार्च, 2019

विषय- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 12वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 18.01.2019 एवं 31.01.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न **जनपदों में** पोर्टेबल वाटर सप्लाई (पी0एल0सी0 बेस्ड) **के** निर्माण हेतु केन्द्रांश की **प्रथम किश्त** की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 12वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 18.01.2019 एवं 31.01.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत निम्न **जनपदों में** Installation of PLC Based Centralised Automatic Bacteriological Treatment Plant with Onlice Comprehensive Water Analyser As per BIS Standard No. VIDE IS: 10500-2012 के निर्माण हेतु अनुमोदित कुल लागत रू0 12231.30 लाख के सापेक्ष कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 6115.648 लाख से प्रश्नगत कार्य करने हेतु **उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (सी0एल0डी0एफ0)**को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 6115.648 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त कुल केन्द्रांश रू0 3057.824 लाख में से केन्द्रांश रू0 2395.568 लाख (रूपये तेईस करोड पंचानबे लाख छप्पन हजार आठ सौ मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित बजट रू0 6000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिनका विवरण निम्नवत है:-

http://shasanadesh.up.nic.in

(केन्द्रांश-50, राज्यांश-50) (रू0 लाख में)

क्र. सं.	जनपद	परियोजना का नाम	ईकाई	ईकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित प्रथम किश्त केन्द्रांश की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुरादाबाद	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	23	16.352	188.05	188.05	376.096	94.024
2	अमरोहा	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	14	16.352	114.46	114.46	228.928	57.232
3	श्रावस्ती	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	8	16.352	65.41	65.41	130.816	32.704
4	बरेली	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	25	16.352	204.4	204.4	408.8	102.2
5	बदायूं	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	25	16.352	204.4	204.4	408.8	102.2
6	शाहजहांपुर	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	23	16.352	188.05	188.05	376.096	94.024
7	सहारनपुर	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	08	16.352	65.41	65.41	130.816	32.704
8	मुजफ्फरनगर	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	29	16.352	237.1	237.1	474.208	118.552
9	बुलन्दशहर	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	09	16.352	73.58	73.58	147.168	36.792
10	गाजियाबाद	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	36	16.352	294.34	294.34	588.672	147.168
11	बागपत	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	09	16.352	73.58	73.58	147.168	36.792
12	बाराबंकी	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	118	16.352	964.77	964.77	1929.54	482.384
13	लखीमपुर खीरी	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	113	16.352	923.89	923.89	1847.78	461.944
14	मुरादाबाद	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	04	16.352	32.7	32.7	65.408	16.352
15	बिजनौर	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	52	16.352	425.15	425.15	850.304	212.576
16	अमरोहा	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	01	16.352	8.18	8.18	16.352	4.088
17	सिद्धार्थनगर	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	02	16.352	16.35	16.35	32.704	8.176
18	बरेली	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	02	16.352	16.35	16.35	32.704	8.176
19	बदायूं	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	02	16.352	16.35	16.35	32.704	8.176
20	बाराबंकी	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	04	16.352	32.7	32.7	65.408	16.352
21	बागपत	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	01	16.352	8.18	8.18	16.352	4.088
22	रामपुर	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	02	16.352	16.35	16.35	32.704	8.176
23	मुरादाबाद	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	02	16.352	16.35	16.35	32.704	8.176
24	बिजनौर	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	01	16.352	8.18	8.18	16.352	4.088
25	रामपुर	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	08	16.352	65.41	65.41	130.816	32.704
26	सिद्धार्थनगर	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	23	16.352	188.05	188.05	376.096	94.024
27	श्रावस्ती	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	01	16.352	8.18	8.18	16.352	4.088
28	पीलीभीत	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	11	16.352	89.94	89.94	179.872	44.968

http://shasanadesh.up.nic.in

29	**मुजफ्फरनगर**	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	02	16.352	16.35	16.35	32.704	8.176
30	**मेरठ**	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	13	16.352	106.29	106.29	212.576	53.144
31	**बुलन्दशहर**	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	03	16.352	24.53	24.53	49.056	12.264
32	**गाजियाबाद**	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	11	16.352	89.94	89.94	179.872	44.968
33	**लखीमपुर खीरी**	पोर्टेबल वाटर सप्लाई योजना	01	16.352	8.18	8.18	16.352	4.088
		कुल योग	**586**		**4791.150**	**4791.150**	**9582.280**	**2395.568**

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-138 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा **कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0** को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित अवधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3)- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है ।

(5)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6)- कार्य की विशिष्टयॉं, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माणकारी संस्था की होगी तथा निर्माणकारी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित परियोजनाओं के निर्माण की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित है ।

(7)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो, यह सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग की जायेगी ।

(8)- धनराशि आहरित कर बैंक आदि में नहीं रखी जायेगी। उपरोक्त परियोजनाओं हेतु मांगी गयी एवं जारी की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(9)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30.03.2018 एवं 24.04.2018 तथा 03.08.2017 एवं दिनांक 26.08.2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10)- लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

(11)- कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा ।

(12)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(13)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(14)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा ।

(15)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(16)- प्रश्नगत कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

(17)- प्रश्नगत परियोजना का निर्माण निर्विवादित भूमि पर ही किया जायेगा तथा निर्विवादित भूमि की उपलब्धता जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सम्बन्धित

UniCode Gov. Inter College. G.O

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यदायी संस्था तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी विवादित स्थल पर कार्य न किया जाय ।

(18)– उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा तथा प्रथम किश्त के कार्यों की गुणवत्ता रिपोर्ट जिलाधिकारी से प्राप्त करने का दायित्व अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का होगा।

4- उक्त के फल स्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के **लेखा शीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0117-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजना (के0 50-रा0 50)-24-वृहत् निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा।

5- यह शासनादेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या -1/2018/बी0-1-375/दस/2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-17 में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है ।

भवदीय,

(हरी राम)
उप सचिव।

संख्या-376(1)/बावन-1-2019-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, सम्बन्धित विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बन्धित परियोजना के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

UniCode Gov. Inter College. G.O

http://shasanadesh.up.nic.in

7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

8- निदेशक, परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग, लखनऊ ।

9- प्रबन्ध निदेशक, **उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत निर्माण कार्य को समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने हेतु ।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

11- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in